



राजू बनाम सरोज डेवी  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही नब लघुहस्ताक्षर जज

शु. नं० - 287/2017

राजू बनाम सरोज वगै०  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा  
मुकदमा नं० 235/2016  
बी०टी० नम्बर 103/2017

वाद डिकी किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प थोई के मजमे-ए-आम में सुनाया गया।

GM -  
(ब्रह्म लाल जाट)  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
कैम्प:-थोई